खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 523

सायल :–

जरिये सरकार भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

गैर सायल :–

1. रणजीत पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी मुण्डारा श्री आशापुरा ऐन्ट्रप्राईजेज गौशाला के पास मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.
2. श्री अनुराग त्रिवेदी मैसर्स सुमन ट्रेंडिग कम्पनी 14, सर्वोत्तम कॉम्पलेक्स हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर 313001
3. श्री कलपेश भाई फुला भाई थुमर मैसर्स विश्वा फुड प्रोडक्ट प्लॉट नम्बर 20 से 23 प्रथम इन्डस्ट्रीयल एरियां मंगरोल सुरत गुजरात 395010

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011 एवं धारा 51

- उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

–:निर्णयः–

दिनांकः 29.08.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 09.07.2024 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिनांक 20.08.2023 को वक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आशापुरा ऐन्ट्रप्राईजेज फर्म मालिक श्री रणजीत पुत्र सोहनलाल जाति माली गौशाला के पास मुण्डारा तहसील बाली के गौदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में विश्वा ब्रान्ड के अलग अलग पैकेटो में घी ब्रांड विश्वा रखा हुआ था जिसे रणजीत आम जनता को विक्रय हेतु अपने

अति. जिला कलक्टर (पाली)

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

कब्जे में रखे हुआ था। घी ब्राण्ड विश्वा में मिलावट का संदेह होने पर सरकारी जांच हेतु घी ब्राण्ड विश्वा का नमूने लेने की इच्छा जाहिर कर फॉर्म नम्बर 5ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर साथ आए ओम प्रकाश प्रजापत कार्यालय हाजा, को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाये व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर इस फॉर्म की एक प्रति गोदाम मालिक श्री रणजीत को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

गोदाम में रखे घी ब्राण्ड विश्वा को 500 एमएल के 04 पैकेट वास्ते जांच हेतु खरीदा, जिसका नकद भुगतान 920/–रुपये अक्षरे नौ सो बीस रुपये जरिये रसीद के किया गया। उक्त घी के चार मूल पैकेट 500–500 एमएल मात्रा के लेकर प्रत्येक पैकेट पर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाई। प्रत्येक कंटेनर को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज मे लपेट कर लपेटे गये कागज के दौनो सिरों को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर–2041 प्रत्येक नमूने पर एक एक पेपर स्लीप एराउण्ड दी नमूना चिपकाई गई व प्रत्येक नमूने को चारों तरफ से नियमानुसार मजबुत एवं मोटे धागे से बांधा गया। नमूने पर चार चार उपर नीचे दायीं बाये चपडी लगाकर ब्रॉस सील से सील बंद किया चारो सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर मुल्जिम व गवाहो के हस्ताक्षर रेपंरिग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुये करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये। घी में मिलावट का संदेह पुख्ता होने पर घी मार्केट में विक्रय न हो इसके लिए नियमानुसार फॉर्म 02,03,04 भरकर जब तक नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त न हो तब तक घी को सीज किया गया।

नमूना संख्या आर–2041 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाने हेतु फॉर्म नम्बर 06 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने मे उपयोग किया गया था अंकित कर तैयार कर आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबद्ध नमूना अशोक विश्नाई संगणक कार्यालय हाजा द्वारा 21.08.2023 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की एवं नमूनो के शेष द्वितीय, तृतीय एवं चतूर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रॉस सील से सील्ड अवस्था अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को 20.08.2023 को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

उक्त घी ब्राण्ड नमूना संख्या आर–2041 की जांच कर खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एल.एस.2233/एक्ट/2023/2080 दिनांक 01.09.2023 अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को भेजी जिसमें अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली ने नमूने की जांच रिपोर्ट चार प्रतियों में प्राप्त कर उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त घी ब्राण्ड विश्वा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ए4 नियम 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नही है,उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। जांच की प्रति जरिये नोटिस श्री रणजीत पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी मुण्डारा श्री आशापुरा एन्टप्राईजेज गौशाला के पास मुण्डारा तहसील वाली जिला पाली को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूने की पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

कर सकते है इस पर फर्म द्वारा अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया इस पर अभिहित अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते हुये नमूना रेफरल लैब भिजवाया गया। बाद रैफरल लैब से प्राप्त जांच रिपोर्ट में नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। अभिहित अधिकारी पाली द्वारा सम्पूर्ण जांच कर पत्रावली पेश करने हेतु निर्देशित किया इस पर फर्म से जरिये नोटिस फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे गये जिस पर फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज घी ब्राण्ड विश्वा का खरीद बिल पेश किया जो शामिल पत्रावली है। खरीद बिल को आधार मैसर्स सुमन ट्रेडिंग कम्पनी 14, सर्वोत्तम कॉम्पलेक्स हिरण मगरी सेक्टर 04 उदयपुर 313001 से दस्तावेज मांगे इस पर फर्म द्वारा दस्तावेज व खरीद बिल पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिस बिल को आधार मानकर मैसर्स विश्वा फुड प्रोडक्ट प्लॉट नम्बर 20 से 23 प्रथम इण्डस्ट्रीयल एरिया मंगरोल सुरत गुजरात 395010 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त 1 श्री रणजीत पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी मुण्डारा श्री आशापुरा एन्ट्रप्राईजेज गौशाला के पास मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली 2. श्री अनुराग त्रिवेदी मैसर्स सुमन ट्रेंडिग कम्पनी 14, सर्वोत्तम कॉम्पलेक्स हिरण मगरी सेक्टर 04 उदयपुर 313001 3. श्री कलपेश भाई फुला भाई थुमर मैसर्स विश्वा फुड प्रोडक्ट प्लॉट नम्बर 20 से 23 प्रथम इण्डस्ट्रीयल एरिया मंगरोल सूरत गुजरात 395010 ने एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है। जिसकी सजा का प्रावधान एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि :—

1. पद संख्या एक परिवाद में लिखित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है परिवाद के उक्त पद में उल्लेखित सक्षम साक्ष्य से साबित करे।
2. पद संख्या 02 परिवाद में उल्लेखित कथन आरोपी फर्म श्री आशापुरा एन्टरप्राईजेज, गौशाला के पास मुण्डारा तहसील बाली का मालिक प्रो. होने के कथन सही होने से स्वीकार है शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। परिवाद के उक्त पद में उल्लेखित सक्षम साक्ष्य से साबित करे।
3. पद संख्या तीन परिवाद में उल्लेखित कथन तथाकथित व्यक्ति जो स्वयं को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली होना बता रहा था, ने विश्वा ब्राण्ड घी के विनिर्माता आरोपी संख्या तीन मैसर्स विश्वा फुड प्रोडक्ट सूरत के द्वारा निर्मित घी के सीलबंद पैकेट जांच हेतु नमूना के बतौर खरीदने की इच्छा जाहिर की थी।
4. पद संख्या चार परिवाद में उल्लेखित कथन गोदाम में रखे विश्वा ब्राण्ड घी के 500 एम एल के चार पैकेट खरीद करने बाबत् कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन परिवादी सक्षम साक्ष्य से साबित करे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

5. पद संख्या पांच परिवाद में उल्लेखित कथन का जवाब है कि तथाकथित व्यक्ति जिसमें स्वयं को खाद्य सुरक्षा अधिकारी होना बताया था, को गोदाम में मौजुद विश्वा ब्राण्ड घी के सीलबंद 05 लीटर के 11 पैकेट, 1 लीटर टेटा पैक के 54 नग, आधा लीटर टेट्रा पैक 106 नग, 200 एम एल के जार 60 नग जो विनिर्माता द्वारा सील पैकेट किये हुए थे जो सभी को अधिग्रहित/निरोधित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रारुप दो भरकर आरोपी संख्या के हस्ताक्षर करवाये थे।
6. पद संख्या छः परिवाद में उल्लेखित कथन परिवादी पक्ष सक्षम साक्ष्य से साबित करे।
7. पद संख्या सात परिवाद में उल्लेखित कथन परिवादी पक्ष सक्षम साक्ष्य से साबित करे।
8. पद संख्या आठ परिवाद में उल्लेखित कथन परिवादी पक्ष सक्षम साक्ष्य से साबित करे।
9. पद संख्या नौ परिवाद में उल्लेखित कथन का जवाब है कि स्वयं को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने आरोपी संख्या एक के गोदाम से विश्वा ब्राण्ड घी के नमूना हेतु लिये गये 500–500 एमएल के चार ट्रेटा पैक एवं गोदाम में पाये गये घी के पैकेट जिनका विवरण प्रारुप दो अभिग्रहण ज्ञापन में उल्लेखित है जो पूर्व में किये विक्रय जो विश्वा ब्राण्ड घी ट्रेटा पैक जार, बकेट, टिन इत्यादि आरोपी संख्या दो की फर्म सुमन टेंडिग कम्पनी से बिल नम्बर STC/42/2023-24 दिनांक 17.04.2023 से खरीद किये थे। इस प्रकार खरीद के बिल के अनुसार व पैकिंग पर उल्लेखित अनुसार विनिर्माता वितरक की खाद्य सुरक्षा एवं मानक पर सही होने एवं लोक स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित होने की निहित वारन्टी/गारन्टी के साथ आरोपी संख्या एक को बेचान किया गया था एवं उक्त खरीद किये घी के सभी पैकेट, टिन इत्यादि को उचित रख रखाव के साथ खरीदने के बाद विक्रय हेतु गोदाम में रखा गया था जिससे आरोपी संख्या एक के विरुद्ध धारा 19 (2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधानों अवमानक (sub standard) इत्यादि के लिये एवं उक्त अधिनियम के तहत कोई अपराध कारित नही होता है। उत्पाद के अवमानक के लिये अधिकतम निर्माता को ही जवाबदेह ठहराया जा सकता हैं। आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है।
10. पद संख्या दस परिवाद में उल्लेखित कथन परिवादी पक्ष सक्षम साक्ष्य से साबित करे।
11. पद संख्या ग्यारह परिवाद में उल्लेखित कथन परिवादी पक्ष सक्षम साक्ष्य से साबित करे।

अतः परिवाद का जवाब आरोपी संख्या एक रणजीत प्रस्तुत कर निवेदन है कि आरोपी संख्या एक को जुर्म अन्तर्गत धारा 19(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में एवं माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परिवाद में उल्लेखित आरोप से उन्मोचित करावे।

आरोपी संख्या तीन ने लिखित निवेदन प्रस्तुत कर उनकी ओर से न्यायालय में उपस्थिति हेतु आरोपी संख्या दो को अधिकृत किया तथा लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि निर्मित सामग्री हमारे द्वारा स्टेण्डर्ड कम्पनी का बटर खरीद कर घी बनाया जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती। हमारे गुजरात में कॉटन ट्रेक एरिया से जो बटर आती है तो उसमें कभी कभी बी.आर. रिडींग

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

बढ जाती है। हम किसी भी तरह की कोई मिलावट नही करते है, घी में किसी को जनहानि हो ऐसी कोई चीज नहीं मिलाई जाती है।

वक्त बहस प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि आरोपी संख्या एक ने जैर इस्तगासा खाद्य सामग्री आरोपी संख्या दो की फर्म से सुमन ट्रेंडिग कम्पनी से खरीदी थी, जिसके प्रमाणस्वरुप खरीद बिल पत्रावली में सलंग्न है। यह कि विनिर्माता व वितरक की मानक अनुरुप तथा लोक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होने की निहित वारण्टी/ गारण्टी के साथ उक्त माल खरीदा गया था तथा पैक्ड माल ही बेच रहा था। प्रश्नगत खाद्य सामग्री के अवमानक होने के लिये अधिकतम निर्माता को ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानानुसार सरंक्षण प्रदान करावें। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा न्यायिक दृष्टांतः 1656 RJT 2020(3); 110 PFAC 1992(1); 188 PFAC 1992(1);1982(1)PFAC 23 प्रस्तुत किये गए। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मुस्तगीस खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2023 को मै.श्री आशापुरा एन्टरप्राईजेज मुण्डारा फर्म में कार्यवाही करते हुए खाद्य सामग्री घी ब्राण्ड विश्वा में मिलावट का सन्देह होने पर इस्तगासे में अंकित विवरण अनुसार उक्त खाद्य सामग्री का नमूना लिया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध अधिग्रहण दस्तावेज अनुसार उपलब्ध माल को बरामद किया गया। प्रश्नगत खाद्य सामग्री का पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 में उक्त नमूना आर–2041 'अवमानक श्रेणी' (Sub Standard) का पाया गया। आरोपी संख्या एक द्वारा अधिनियम, 2006 की धारा 46 (4) में प्रदत अधिकारों के अन्तर्गत नमूने की रैफरल लैब पूना में पुनः जाँच करवायी गई तथा रैफरल लैब की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.11.2023 में भी उक्त नमूना अवमानक (sub Standard) श्रेणी का पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबपत्र में उक्त जाँच निष्कर्ष को कहीं चुनौति नहीं दी गई है **अर्थात यह निर्विवाद रुप से सिद्ध है कि मुस्तगिस खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2023 को मैसर्स आशापुरा एण्टरप्राईजेज मुण्डारा से बरामद खाद्य सामग्री घी ब्राण्ड विश्वा अवमानक (sub Standard) श्रेणी का पाया गया।**

यह भी निर्विवादित है कि उक्त अवमानक खाद्य सामग्री विश्वा ब्राण्ड घी का आरोपी संख्या एक द्वारा विक्रय किया जा रहा था तथा पत्रावली में उपलब्ध खरीद बिल इन्वॉयस संख्या STC/42/2023-24 दिनांक 17.04.2023 से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी संख्या एक द्वारा उक्त खाद्य सामग्री आरोपी संख्या दो की फर्म सुमन ट्रेंडिग कम्पनी से क्रय की गई थी। आरोपी संख्या तीन के द्वारा प्रस्तुत एवं पत्रावली में सलंग्न पत्र में यह स्वीकारोक्ति है कि प्रश्नगत खाद्य सामग्री घी ब्राण्ड विश्वा उनकी फर्म मै. विश्वा फूड प्रोडक्ट द्वारा निर्मित है।

अति. जिला कलक्टर (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

अतः आरोपीगण एक लगायत तीन के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानान्तर्गत जुर्म प्रमाणित पाया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबन्धार्गत शास्ति अधिरोपण के रुप में दण्डनीय है।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाबपत्र तथा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी संख्या एक द्वारा प्रश्नगत खाद्य सामग्री को पैक्ड रुप में अन्य फर्म से खरीद कर उसी रुप में विक्रय किया जा रहा था, अतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 19 के सरंक्षणाधीन आरोपी संख्या एक को आरोपों से मुक्त कर राहत प्रदान करावे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 97 सपठित द्वितीय अनूसूची अनुसार उक्त अधिनियम 2006 लागु होने की तिथि दिनांक 28.05.2008 से पूर्वोक्त खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 निरस्त हो चुका है तथा उसके किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत राहत/अनुतोष नहीं मांगा जा सकता। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) निर्माता, संग्रहक एवं वितरक के साथ साथ विक्रेता की भी जिम्मेदारी अभिनिर्धारित करती है अर्थात अवमानक श्रेणी की खाद्य सामग्री भले पैक्ड खरीदी और उसी रुप में विक्रय की गई हो, किन्तु विक्रेता को उक्त आधार पर उन्मोचित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान उक्त अधिनियम, 2006 में विहित नहीं है। यद्यपि अधिनियम 2006 की धारा 51(2) में शास्ति अभिनिर्धारण हेतु उल्लेखित मापदण्डों में एक मापदण्ड यह अवश्य अंकित है कि "Whether the contravention is without his knowledge" अर्थात् आरोपी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत तर्क उनके विरुद्ध आरोपो से उन्मोचित करने मे तो सहायक नही है, किन्तु शास्ति अधिरोपण में नरम रुख अपनाने में अवश्य सहायक है। हस्तगत प्रकरण में आलोच्य खाद्य सामग्री का निर्माण आरोपी संख्या तीन की फर्म द्वारा किया जाना तथा आरोपी संख्या एक द्वारा उक्त अवमानक श्रेणी की खाद्य सामग्री को ज़रिए खरीद बिल दिनांक 17.04.2023 के आरोपी संख्या दो की फर्म से क्रय किया जाना 'स्वीकार्य स्थिति' (admitted position) है। यद्यपि आरोपी संख्या दो की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा भी प्रश्नगत खाद्य सामग्री पैक्ड रुप में ही खरीदी गई थी अथवा आरोपी संख्या तीन की फर्म अर्थात निर्माता फर्म के साथ कुसंयोजन कर प्रश्नगत खाद्य सामग्री का संयुक्त रुप से उत्पादन या वितरण किया गया। इस सम्बन्ध में कोई उपधारणा करने हेतु पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अतः आरोपी संख्या दो एवं तीन पर समान राशि तथा आरोपी संख्या एक पर न्यूनतम राशि की शास्ति अधिरोपण का निश्चय किया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 51 में विहित प्रावधानान्तर्गत उक्त घी ब्राण्ड नमूना संख्या आर–2041 जो उक्त अधिनियम 2006 में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं निर्माण के कारण कुल शास्ति 100000/– अक्षरे एक लाख रुपये मात्र अधिरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि में से आरोपी संख्या एक पर राशि 5000/– का अधिरोपण किया जाता है। शेष 95000/–रुपये शास्ति का आरोपी संख्या दो एवं तीन द्वारा समान समान भाग में अर्थात 47500/–प्रत्येक के द्वारा भुगतान किया जायेगा। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 413/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रणजीत व अन्य

पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही, अधिग्रहित/जब्त खाद्य सामग्री का खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के प्रावधानानुसार निस्तारण किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
दिनांक :

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.413/2024/2025/
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner